

**सेवा प्रभार - कृषि उत्पाद**  
(सभी प्रभार जीएसटी रहित)

**I. प्रसंस्करण प्रभार:**

**क. किसान क्रेडिट कार्ड के लिए :**

ऋण सीमा	दरें
₹3 लाख तक	शून्य
₹3 लाख से अधिक से लेकर ₹10 लाख तक	ऋण राशि का 0.30%
₹10 लाख से अधिक से लेकर ₹1 करोड़ तक	ऋण राशि का 0.25%
₹1 करोड़ से अधिक	ऋण राशि का 0.20%

**ख. एसएचजी मीयादी ऋण और सीसी सीमा ( कृषि और गैर-कृषि ) के लिए:**

ऋण सीमा	दरें
₹3 लाख तक	शून्य
₹3 लाख से अधिक	यदि सीमा ₹3 लाख से अधिक है - संपूर्ण सीमा के लिए 0.25%

**ग. जेएलजी वित्तपोषण के लिए ( कृषि और गैर-कृषि ):**

ऋण सीमा	दरें
₹2 लाख तक	शून्य
₹2 लाख से अधिक	यदि सीमा ₹2 लाख से अधिक है - संपूर्ण सीमा के लिए 0.25%

**घ. संरचित ऋण उत्पादों के अलावा कृषि /संबद्ध कार्यकलाप के अंतर्गत मीयादी ऋण :**

ऋण सीमा	दरें
₹25000 तक	शून्य
₹25000 से अधिक	संस्वीकृत सीमा का 0.50%

**ङ. संरचित ऋण उत्पादों के अलावा कृषि /संबद्ध कार्यकलाप उत्पादों के अंतर्गत कार्यशील पूंजी :**

ऋण सीमा	दरें
₹25000 तक	शून्य
₹25000/- से अधिक से लेकर ₹10 लाख तक	यदि सीमा ₹25000 से अधिक हो तो ₹10 लाख तक की सम्पूर्ण सीमा के लिए 0.25%
₹10 लाख से अधिक	यदि सीमा ₹ 10 लाख से अधिक है - संपूर्ण सीमा के लिए 0.35%

**च. कृषि के अंतर्गत आभूषण ऋण (मीयादी ऋण):**

ऋण सीमा	दरें
₹25000 तक	शून्य
₹25000 से अधिक	ऋण राशि का 0.2% न्यूनतम ₹200

**छ. एनबीएफसी-एमएफआई को वित्तपोषण: आंतरिक रेटिंग के आधार पर 0.30% से 1.50% तक**

**ज. गैर-एनबीएफसी-एमएफआई/एनजीओ को वित्तपोषण: सीमा के निरपेक्ष 1.00%**

**झ. कृषि के अंतर्गत ऋण पुनर्रचना:**

प्राकृतिक आपदा के कारण	शून्य
कोई अन्य कारण	सामान्य प्रभार का 75%

**II. कृषि अग्रिम के लिए मीयादी ऋण की समीक्षा:**

( बकाया शेष राशि पर प्रभारित किया जाना है )

ऋण सीमा	दरें
---------	------

₹5 लाख तक	शून्य
₹5 लाख से अधिक	₹120 प्रति लाख या उसका भाग, अधिकतम ₹6 लाख के अधधीन

### III. कृषि ऋण के लिए प्रलेखीकरण प्रभार:

ऋण सीमा	दरें
₹10 लाख तक	शून्य
₹10 लाख से अधिक	₹250 प्रति लाख या उसका भाग, अधिकतम ₹60000 के अधधीन

### IV. बंधक प्रभार:

ऋण सीमा	दर
₹10 लाख से कम	शून्य
₹10 लाख और उससे अधिक	ईएम/अन्य बंधक के प्रत्येक प्रारंभिक सर्जन के समय ₹300 प्रति लाख या अधिकतम ₹25000। ईएम/अन्य बंधक के विस्तार के लिए लागू प्रभार का 50% वसूल किया जाना है।

### V. निरीक्षण प्रभार:

सकल एक्सपोजर	निरीक्षण प्रभार ( प्रति वर्ष )
₹2 लाख तक	शून्य
₹2 लाख से अधिक	0.075% प्रति वर्ष, अधिकतम ₹50000 के अधधीन
एसएचजी/जेएलजी , सरकारी प्रायोजित योजनाओं और अन्य आभूषण ऋण के लिए रुपये 5.00 लाख तक के निरीक्षण प्रभार पर छूट दी जाएगी।	
₹5 करोड़ से अधिक की सीमा के लिए: 0.075%, अधिकतम ₹50000 + वास्तविक व्यय टीए/डीए तथा अन्य फुटकर व्यय उधारकर्ता से वसूल किया जाना है।	

**VI. सेवा प्रभार लगाने हेतु छूट-प्राप्त श्रेणियाँ:** सभी सरकारी प्रायोजित योजनाएं जैसे पीएमईजीपी/एससी/एसटी कार्य योजना, डीआरआई, एसआरएमएस, एनयूएलएम (₹5.00 लाख तक), एनआरएलएम (₹3.00 लाख तक), एसीएबीसी, डीईडीएस, नई एएमआई और अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार प्रायोजित योजनाएं।

### VII. दंडात्मक प्रभार की वसूली (जीएसटी रहित)

अनियमितताओं की अवधि के लिए ऋण खाते पर दंडात्मक प्रभार लगाया जाएगा तथा नीचे वर्णित उत्पाद पैरामीटर के अनुसार माह/तिमाही/अर्ध-वर्ष/वर्ष के अंत में लगाया जाएगा:

#### i) खाते के अतिदेय हो जाने की घटनाएँ:

खाते के अतिदेय हो जाने के ऐसे मामले जहां दंडात्मक प्रभार लागू होते हैं:

विवरण	चूक / अतिदेय राशि पर लागू दर
समय पर ब्याज/मूलधन का भुगतान न करना	2%
एफबी कार्यशील पूंजी खातों के मामले में अपर्याप्त स्टॉक और बही ऋण के कारण आहरण सीमा से अधिक राशि	2%

#### ii) ऐसी घटनाएँ जहाँ महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता:

निम्नलिखित प्रत्येक विषय पर 1% का दंडात्मक प्रभार लगाया जाएगा।

विवरण	बकाया ऋण पर लागू दर

<input type="checkbox"/> नियत तिथि से कम से कम एक माह पूर्व नवीनीकरण डेटा प्रस्तुत न करना/विलंब से प्रस्तुत करना	1%
<input type="checkbox"/> स्टॉक विवरण प्रस्तुत न करना / देरी से प्रस्तुत करना	
<input type="checkbox"/> एमएसओडी और/या क्यूआईएस/एफएफआर विवरण, जहां भी निर्धारित हो, नियत तिथि के भीतर प्रस्तुत न करना/विलंब से प्रस्तुत करना	
<input type="checkbox"/> वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 8 महीने के भीतर लेखापरीक्षित तुलन पत्र और निर्धारित तिथि के अनुसार तिमाही कार्यनिष्पादन विवरण प्रस्तुत न करना	
<input type="checkbox"/> निर्धारित अवधि के भीतर मंजूरी की शर्तों का पालन न करना	

- यदि एलसी के न्यागमन या बीजी के लागू करने के कारण अतिरिक्त/टीओडी के मामले में इसे सीसी खाते में डेबिट नहीं किया जाता है तो 2% अतिरिक्त दंडात्मक प्रभार लगाया जाए।
- खाते के अतिदेय हो जाने तथा महत्वपूर्ण नियमों एवं शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में कुल दंडात्मक प्रभार को अधिकतम 2% तक सीमित किया जाए।

**VIII. अनिर्धारित अन्य सभी प्रभार: अन्य अग्रिमों और विशिष्ट योजनाओं के अनुसार लागू**